क्रम-संख्या—19

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०-
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 21 जनवरी, 2020

माघ 1, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–3

संख्या 58/76-3–2020/10जीडब्लू/2014

लखनऊ, 21 जनवरी, 2020

अधिसूचना

प०आ०–19

उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2019) की धारा 6 की उप–धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, राज्य भूगर्भ जल प्रबन्धन और विनियामक प्राधिकरण को उक्त धारा के उपबंधों के अनुसार अध्यक्ष और सदस्यों से समाविष्ट राज्य के प्रत्येक जिला हेतु जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद् का गठन करने के लिये निदेश देती हैं।

आज्ञा से,
अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 58/76-3-2020/10gw/2014, Lucknow dated January 21, 2020 :

No. 58/76-3-2020/10gw/2014

Dated Lucknow, January 21, 2020

IN exercise of the powers under sub-section (1) of section 6 of the Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2019 (U.P. Act no. 13 of 2019), the Governor is pleased to direct the State Ground Water Management and Regulatory Authority to constitute the District Ground Water Management Council for each district of the State consisting of the Chairperson and members in accordance with the provisions of the said section.

By order,
ANURAG SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी०–575–राजपत्र (हि०)–(1399)–2020–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी०–4 सा० भूगर्भ जल–(1400)–1000 प्रतियां–(कम्प्यूटर / आफसेट)।

राज्य भूगर्भ जल प्रबन्धन और विनियामक प्राधिकरण,

(अधिसूचना संख्या 1320/62–1–2019–10 जी0डब्लू0/2014, दिनांक 13 नवम्बर, 2019 के द्वारा गठित)

संख्या /यूपीराभूजप्रविप्रा

लखनऊः दिनांक : 05 जून, 2020

–: कार्यालय ज्ञाप :–

अधिसूचना संख्या 58/76–3–2020/10जीडब्लू/2014, दिनांक 21 जनवरी, 2020 के द्वारा प्राप्त निर्देशों तथा उत्तर प्रदेश भू–गर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2019) की धारा 06 में प्रदत्त अधिकारों के क्रम में प्रदेश के समस्त जनपदों में एतद्द्वारा ''जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्'' का गठन निम्नानुसार किया जाता हैः–

1.	जिला मजिस्ट्रेट।	अध्यक्ष
2.	जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट राज्य में भूगर्भ जल प्रबन्धन के क्षेत्र में दीर्घकालिक कार्य करने का अनुभव रखने वाले एक विषय विशेषज्ञ।	सदस्य
3.	जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट भूगर्भ जल के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले सार्वजनिक/गैर सरकारी संगठन/सामाजिक क्षेत्र का एक व्यक्ति।	सदस्य
4.	सहायक अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग।	सदस्य
5.	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड।	सदस्य
6.	जिला कृषि अधिकारी।	सदस्य
7.	अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग।	सदस्य
8.	अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम।	सदस्य
9.	नगर आयुक्त, नगर निगम/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत (यथास्थिति)।	सदस्य
10.	मुख्य अभियन्ता, विकास प्राधिकरण।	सदस्य
11.	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई एवम् जल संसाधन विभाग।	सदस्य
12.	उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र।	सदस्य
13.	प्रभागीय वनाधिकारी।	सदस्य
14.	जिला उद्यान अधिकारी।	सदस्य
15.	जिला विकास अधिकारी।	सदस्य/सचिव

उक्त सदस्यों के अतिरिक्त नगर पालिका, भूगर्भ जल प्रबन्धन समिति तथा खण्ड पंचायत भूगर्भ जल प्रबन्धन समिति से एक–एक सदस्य परिषद् के आमंत्रित सदस्य के रूप में भी सम्मिलित किए जाएंगे। ''जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद्'' के क्रम संख्या 02, एवम् 03 पर नामित सदस्यों की सेवा एवम् शर्तें, इत्यादि उत्तर प्रदेश भू–गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) नियमावली, 2020 के अध्याय–2 के अनुसार होगी।

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव/अध्यक्ष

पत्रांकः 01 /यूपीराभूजप्रविप्रा/तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन (सदस्य प्राधिकरण)।
2. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन (सदस्य प्राधिकरण)।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
6. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
8. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, 9वाँ तल इन्दिरा भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(वी0के0 उपाध्याय)
निदेशक, भूगर्भ जल विभाग/सदस्य सचिव

पत्रांकः /यूपीराभूजप्रविप्रा/तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि अपने अधीनस्थ प्रत्येक जनपद के सक्षम अधिकारी को जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् के सदस्य के रूप में पदेन नामित करें।

1. प्रमुख अभियन्ता/विभागाध्यक्ष, सिंचाई और जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निदेशक, उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
4. सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

/

(वी0के0 उपाध्याय)
निदेशक, भूगर्भ जल विभाग/सदस्य सचिव